उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-350/2015/2238/38-1-2015&3508/2013
लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2015

<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2013 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ की स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	पत्राचार पता
1	श्री परमहंस लाल श्रीवास्तव	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	महराजगंज	ग्राम व पो0 बरगाहपुर, टोला, श्री गोपाल जोत, निकट लेहरा रेलवे स्टेशन, महराजगंज
2	श्री संदीप पाण्डेय	श्री देवी शंकर पाण्डेय	लखनऊ	134/466 बशीरतगंज, लखनऊ, 226004
3	श्री अनिरूद्ध सिंह चौहान	श्री अवधेश सिंह चौहान	फरूर्खाबाद	गुंजन विहार कालोनी निकट कल्कत्ता ट्रान्सपोर्ट कम्पनी आलूमण्डी मुख्य मार्ग सेन्ट्रल जेल चौराहा फरूर्खाबाद 209602
4	श्री विजय कुमार जायसवाल	श्री स्व0 कपिलदेव प्रसाद जायसवाल	कैमूर, बिहार	बड़ी बाजार, मोहनियॉ, पो0- मोहनियॉ, जिला-कैमूर, बिहार 821109
5	श्री हेमन्त कुमार यादव	श्री राम लखन सिंह यादव	लखनऊ	529डी/0236 विवेकानन्दपुरम, कल्याणपुर पश्चिम, लखनऊ, उ0प्र0 226022
6	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	श्री शिवपूजन सिंह	मऊ	50/320 उर्मिलापुरी, सुरेन्द्र नगर, चिनहट, लखनऊ।
7	सुश्री आरती सिंह	श्री उपेन्द्र सिंह	सोनभद्र	।।/169 ज्वालामुखी इनक्लेव, शक्ती नगर, सोनभद्र 231222
8	श्री धीरेन्द्र कुमार यादव	श्री संगम लाल यादव	प्रतापगढ़	ग्राम लऊवा सुखदेवपुर, पो0 मोहद्दीनगर, भदरी, प्रतापगढ़ 230201
9	श्री नन्दलाल कुमार	श्री पारस नाथ	सोनभद	घुवास मुहाल, वार्ड नं0-20 रावर्टसगंज, सोनभद्र 231216

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10	श्री सुधीर कुमार	श्री मोहर सिंह	कासगंज	के-1-158, कवि नगर, गाजियाबाद 201002
11	श्री संजय सिंह	श्री रामेश्वर सिंह	सोनभद्र	ग्राम कोटास (हसीपुर), पो0 सण्डी, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र 231213
12	श्री आत्म प्रकाश रस्तोगी	श्री राम गोपाल रस्तोगी	बहराइच	29/89-90 तृतीय तल फ्रंट साइड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली
13	सुश्री शैली गोविल	श्री विभव गुप्ता	कासगंज	म0नं0-17, स्टेट बैंक कालोनी, नदराय गेट, कासगंज

2- सम्बन्धित अधिकारियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई सेवा नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी।

3- प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली- 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

4- उक्त समस्त अधिकारी दिनांक 28.09.2015 से 11.11.2015 तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु संस्थान में योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। इन अधिकारियों की जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।

5- यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-14299-14301/2007 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

राम बहादुर
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-350/2015/2238(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार ¼लेखा एवं हकदारी½-2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(3) महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को दिनांक 28.09.2015 से 11.11.2015 तक आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा संस्थान पर प्रस्तुत की गई योगदान आख्या शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(4) सम्बन्धित नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस आदेश की प्रति के साथ दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में उक्त आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त समझा जायेगा।

(5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(7) कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/9/2015-का-4-2015, दिनांक 05.05.2015 के संदर्भ में प्रेषित।

(8) निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अलीगंज, लखनऊ।

(9) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in